

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/2008/967

भोपाल, दिनांक 31/7/08

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत छिंदवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा

विषय:—अध्यापक संवर्ग के लिए स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण की नीति।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक/1959/जिपं/ग्रावि/स्टेनो/08 दिनांक 11.07.08

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा चाहे गए मार्गदर्शन के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

1. अध्यापक संवर्ग की स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति केवल जिला/जनपद पंचायत के अंतर्गत के लिए है, नगरीय निकाय के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
2. नव उन्नत माध्यमिक शाला/हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में स्वीकृत रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण/संविलियन किया जा सकता है।


आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक/अध्या.संवर्ग/2008/968

भोपाल, दिनांक 31/7/08

प्रतिलिपि:—

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश। (जिला छिंदवाड़ा को छोड़कर)
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.